न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 86/2021

1 गुमानी देवी पत्नी स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नत्थुराम
2 रामूराम
3 मांगूराम
4 महावीर पुत्रगण स्व. मुकन्दाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
5 फुलचन्द पुत्र स्व. हरचन्द जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
6 सन्तोषदेवी पत्नी स्व. हरचन्द जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। (नाम हजफ 28.11.2024)
7 इन्द्राज पुत्र स्व. श्योराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8/1 चन्द्रावली पत्नी स्व. रामलाल जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8/2 मुकेश पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
8/3 सुनिता पुत्री स्व. रामलाल जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 शीशराम
10 रामनिवास
11 मन्नीराम पुत्रगण स्व. गोरधन जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
12 मेदादेवी पत्नी स्व. गोरधन जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.। (नाम हजफ 28.11.2024)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 सन्तरा देवी पुत्री स्व. गोरधन जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
14 श्रवणकुमार पुत्र स्व. भैरूराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
15 ओमप्रकाश पुत्र स्व. चिमनाराम जाति जाट
16 राजेश कुमार पुत्र स्व. चिमनाराम जाति जाट
17 श्योकारी पत्नी स्व. चिमनाराम जाति जाट
18 बाबुलाल पुत्र स्व. रतिराम जाति जाट
19 श्रीराम पुत्र स्व. रतिराम जाति जाट
20 नेमीचन्द पुत्र रतिराम जाति जाट
21 बनारसी देवी पत्नी स्व. रतिराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
22 तहसीलदार लैण्ड होल्डर नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
23 कर्णसिंह पुत्र
24 ज्ञानी देवी स्त्री स्व. मंगलाराम जाति जाट निवासी खोजावास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय दिनांक 24.08.2021 बअदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी कर्णसिंह बनाम नत्थुराम वगै. मु.नं. 11/2017 अ.धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

Stamp: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

—निर्णय—

दिनांकः— 19/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2017 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 198 रकबा 1.31 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम खोजास तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। खसरा नम्बर 198 के खातेदार अपीलान्ट व उसका पुत्र विनोद कुमार है। जमीन खसरा नम्बर 197 रकबा 1.22 हैक्टेयर ग्राम खोजास के खातेदार रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 क्रमशः कर्णसिंह व ज्ञानीदेवी है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 ने विचारण न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 197 व खसरा नम्बर 198 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 432/195 व 196 में से रास्ता बाबत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने दिनांक 24.08.2021 को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राज. काश्त. अधि. 1955 के आवेदन पत्र में यह प्लीड किया कि खसरा नम्बर 197 व 198 में आने जाने के लिये हमेशा से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 के खेत खसरा नम्बर 202 में पूर्वी तरफ से प्रवेश करके रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के खेत खसरा नम्बर 432/195 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 196 की उत्तरी पूर्वी कोने में प्रवेश करके पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण तरफ चलकर पश्चिम तरफ मुड़कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 के खेत खसरा नम्बर 197 की उत्तरी सीमा के प्रवेश करते है तथा खसरा नम्बर 197 से अपने खेत खसरा नम्बर 198 में प्रवेश करते है। नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता के अलावा खसरा नम्बर 197 व 198 की जमीन में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

मौके पर तंग व सकड़ा है। खसरा नम्बर 197 व 198 के खेत की जुताई के लिए ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने व फसल वगै. लाने ले जाने के लिए रास्ता की चौड़ाई 12 फीट कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र यह आधार लेकर खारिज कर दिया कि आवेदकगण ने मौके पर चाहे गये रास्ता की चौड़ाई प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं की तथा ना ही तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता की चौड़ाई बताई तथा प्रचलित रास्ते बाबत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते उपरोक्त आधार लेकर अपीलान्ट का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 के धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र के आशय को समझने में गलती की है। अपीलान्ट ने प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई (विस्तार) 12 फीट कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज बाबत अनुतोष चाहा है जब भू अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट में यह लिख दिया कि रास्ता मौके पर चालु है तथा खसरा नम्बर 197 व 198 में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है तब ऐसी सुरत में विचारण न्यायालय को यह नहीं देखना की आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में रास्ता की चौड़ाई नही लिखी क्योंकि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अगर स्वीकार होता है तो अपीलान्ट व अन्य को सम्पूर्ण 12 फीट चौड़ाई के रास्ता की डीएलसी की दुगुनी राशि जमा करानी होगी। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पातिर करने में रिकार्ड व रिपोर्ट तथा प्रार्थना पत्र की प्लींडिग को नजर अंदाज कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने आवेदन पत्र खारिज करने का आधार दर्ज नहीं किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राज. काश्त. अधि. 1955 के आवेदन पत्र में यह कथन किया कि खसरा नम्बर 197 व 198 में आने जाने के लिये हमेशा से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 6 के खेत खसरा नम्बर 202 में पूर्वी तरफ से प्रवेश करके रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 के खेत खसरा नम्बर 432/195 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे चलकर खसरा नम्बर 196 की उत्तरी पूर्वी कोने में प्रवेश करके पूर्वी सीमा के सहारे सहारे दक्षिण तरफ चलकर पश्चिम तरफ मुड़कर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 के खेत खसरा नम्बर 197 की उत्तरी सीमा के प्रवेश करते है तथा खसरा नम्बर 197 से अपने खेत खसरा नम्बर 198 में प्रवेश करते है। नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता के अलावा खसरा नम्बर 197 व 198 की जमीन में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है तथा मौके पर तंग व सकड़ा है। खसरा नम्बर 197 व 198 के खेत की जुताई के लिए ट्रेक्टर ट्राली लाने ले जाने व फसल वगै. लाने ले जाने के लिए रास्ता की चौड़ाई 12 फीट कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र यह आधार लेकर खारिज कर दिया कि आवेदकगण ने मौके पर चाहे गये रास्ता की चौड़ाई प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं की तथा ना ही तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में रास्ता की चौड़ाई बताई तथा प्रचलित रास्ते बाबत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागु नहीं होते उपरोक्त आधार लेकर अपीलान्ट का धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होना मानकर खारिज कर दिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 व 24 के धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र के आशय को समझने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई (विस्तार) 12 फीट कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज बाबत अनुतोष चाहा है जब भू अभिलेख निरीक्षक ने रिपोर्ट में यह लिख दिया कि रास्ता मौके पर चालु है तथा खसरा नम्बर 197 व 198 में आने जाने के लिए

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा 251 ए की परिधि में आता है विचारण न्यायालय को धारा 251ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत परिक्षण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर